न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

लो0से0गा0 प्रकरण संख्या : 01/2021(जीसीएमएस संख्या : 2021/5)

शान्ति देवी पत्नी डॉ0 रामगोपाल अटल, पता बी–494, महेश नगर, जयपुर।

अपीलार्थी,

बनाम

1. तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण,

(द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 6(1) लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011)

निर्णय **दिनांक : 28.02.2022**

अपीलार्थी शान्ति अटल पत्नी डॉ0 रामगोपाल अटल द्वारा द्वितीय अपील प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 26.06.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से एक आवेदन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र का खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु मय दस्तावेज की फोटोप्रति तहसीलदार सांगानेर को भिजवाया गया था और दिनांक 24.06.2020 को स्वयं के द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु 30 दिवस की अवधि से भी अधिक समयावधि गुजरने के पश्चात् भी नामान्तरकरण नहीं किये जाने पर प्रथम अपील की गई जिसमें दिनांक 01.10.2020 को निर्णय पारित किया गया कि विक्रय–पत्र के हिस्से अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कराया जावे और पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे। इसके बावजूद भी नामान्तरकरण नहीं किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत है। अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24.06.2020 व 26.06.2020 के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर खातेदारी भूमि का खसरा नम्बर 840 रकबा 0.3400 हैक्टर भूमि का 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में दर्ज कराया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध शास्ती लगाई जाकर अपीलार्थी को शास्ती की राशि दिलाई जावे।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस जारी किये गये व टिप्पणी तलब की गई। तत्कालीन तहसीलदार,

सांगानेर व पटवारी हल्का, कपूरावाला को विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस दिये गये। जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये जवाब शामिल मिसल है।

तहसीलदार, सांगानेर ने जरिये पत्रांक एलआर/21/1006 दिनांक 08.02.2021 जाहिर किया कि प्रथम विक्रय–पत्र दिनांक 27.04.2015 नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 08.02.2021 को दर्ज होकर प्रक्रियाधीन है इसके स्वीकृत व लोक होने के पश्चात् द्वितीय विक्रय–पत्र के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावेगी। चूंकि ऑनलाईन नामान्तरकरण की प्रक्रिया के दौरान खाते में पृथक–पृथक विक्रय–पत्र का नामान्तरकरण एक साथ न होकर पृथक–पृथक नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाती है। अतः नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन है इसके निर्णय पश्चात् शेष विक्रय–पत्र की नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी तत्पश्चात् जरिये पत्रांक भूअ/विविध/2021/2158 दिनांक 31.03.2021 द्वारा जाहिर किया कि नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 26.02.2021 को मनीष सेठी पुत्र श्री कालूराम सेठी हिस्सा 299/3400 के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 05.03.2021 को शान्ति अटल पत्नी डॉ0 आर0जी0 अटल हिस्सा 299/3400 के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। नामान्तरकरण संख्या 672 दिनांक 16.03.2021 को सविता जौलिया पत्नी श्री मदनलाल हिस्सा 299/3400 के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। नामान्तरकरण संख्या 673 दिनांक 16.03.2021 को शान्ति अटल पत्नी डॉ0 आर0जी0 अटल के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। इसी क्रम में नामान्तरकरण संख्या 674 दिनांक 16.03.2021 को शान्ति अटल पत्नी डॉ0 आर0जी0 अटल के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। तहसीलदार, सांगानेर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 31.03.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी को अंतिम रूप से लोक सेवा प्रदान की जा चुकी है इसके साथ ही विलम्ब के सम्बन्ध में बाद अवलोकन जवाब यह पाते है कि प्रकरण में विक्रय पत्रानुसार दर्ज हिस्सा 535/1133, 299/1133 व 299/1133 अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तो जमाबंदी के खाते का हिस्सा अपवादित हो जाता है अर्थात हिस्सा एक नहीं बनता है जिसके कारण विक्रय–पत्र अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं है, की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई है जिसके कारण ही नामान्तरकरण की कार्यवाही नही हो सकी है ऐसी स्थिति में जबकि तकनीकि समस्या आने और अब नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर